राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 7(23)नविवि/3/2001/पार्ट जयपुर, दिनांक 30.4.2003

:: आ दे श ::

विषय :– राजस्थान आवासन मण्डल (संपत्ति निस्तारण) विनियम, 1970 के नियम 8–ए के अंतर्गत विवेकाधीन कोटे से आवास गृह आवंटन किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

1. राजस्थान आवासन मण्डल(संपत्ति निस्तारण) विनियम, 1970 के नियम 8–ए के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्य सरकार आवासन मण्डल द्वारा निर्मित आवासों में से एक प्रतिशत आवास आवंटित कर सकेगी। नियम 8–ए अंतर्गत एक प्रतिशत आवास आवंटन के लिये कोई दिशा–निर्देश नहीं दिये गये हैं क्योंकि यह राज्य सरकार का विवेकाधीन कोटा है।

2. अतः इस एक प्रतिशत विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत आवासों के आवंटन की प्रक्रिया को अधिक तार्किक, विवेकपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

क) नियम 8–ए के अंतर्गत राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं में निर्धारित एक प्रतिशत विवेकाधीन कोटे के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी और आवास गृह आवंटन का कार्य निम्न उच्च स्तरीय आवंटन समिति द्वारा किया जाएगा :–

1.	माननीय प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
3.	शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य

4. आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल — सदस्य

5. शासन उप सचिव (द्वितीय)
नगरीय विकास विभाग — सदस्य सचिव

ख) यह समिति निम्न श्रेणी के जरुरतमंद आवेदकों को आवास आवंटन कर सकेगी :-

1. परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र विजेता।
2. किसी युद्ध/मिशन में वीरगति को प्राप्त सैनिक की विधवा, आश्रित बच्चे, शहीद सैनिक के अविवाहित होने की स्थिति में उसके माता-पिता।
3. राष्ट्रीय असैनिक सम्मान प्राप्त व्यक्ति
4. ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक विजेता
5. वर्तमान एवं भूतपूर्व सांसद, वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक तथा वर्तमान जिला प्रमुख, नगर निगम/परिषद्/नगर पालिका के निर्वाचित महापौर/सभापति/अध्यक्ष
6. ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिनकी समाज के प्रति सेवाएं राज्य सरकार की दृष्टि में उत्कृष्ट कोटि की रही हों।

ग) उपरोक्त समिति उपर वर्णित श्रेणियों के जरुरतमंद व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आवास आवंटन करने के लिये सक्षम नहीं होगी।

3. नियम 8-ए के अन्तर्गत आवास आवंटन हेतु कोई व्यक्ति तभी पात्रता रखेगा जबकि उस शहर में उसके स्वयं के नाम अथवा उसकी पत्नी या पति या उस पर आश्रित कोई संबंधी जिसमें अविवाहित बच्चे भी शामिल हैं, के नाम कोई लीज होल्ड या फ्री-होल्ड भूखण्ड या मकान नहीं हो।

4. नियम 8-ए के अंतर्गत लंबित आवेदन पत्रों और भविष्य में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ही किया जावेगा।

30.4.2003

शासन उप सचिव
नगरीय विकास विभाग